# सातवें संस्करण की भूमिका

संविधान निर्माण के लिए डा. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित भारतीय संविधान सभा द्वारा 17 सितम्बर, 1949 को एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के संविधान का सर्वप्रथम हिन्दी में और तत्पश्चात् विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करके, जो सर्वत्र और सभी भाषाओं में, विधायी कार्य में, न्यायालयों में प्रयुक्त होते हों, अनुवाद तैयार कराया जाए । संविधान का हिन्दी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के इसी प्रस्ताव को एक मानक और सर्वसम्मत शब्दावली के निर्माण के प्रथम प्रयास का शुभारंभ कहा जा सकता है ।

राजभाषा आयोग, 1956 की रिपोर्ट पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विधि के क्षेत्र में एक मानक विधि शब्दकोश तैयार करने की जो सिफारिश की गई थी, उसके संबंध में जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में राजभाषा (विधायी) आयोग की वर्ष 1961 में स्थापना की गई थी । इस आयोग का सभी अधिनियमों, नियमों और अध्यादेशों, आदि का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार कराने के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थात् सभी राजभाषाओं में प्रयोग के लिए एक प्रामाणिक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित कराने का कार्य सौंपा गया था ।

आयोग द्वारा अक्तूबर, 1970 में विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण तैयार किया गया । भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में आयोग के स्थान पर, विधायी विभाग के राजभाषा खंड को उस आयोग के सभी कार्य सौंपे गए । इसके बाद, राजभाषा खंड द्वारा वर्ष 1979 में इसका दूसरा, वर्ष 1983 में तीसरा, वर्ष 1988 में चौथा, वर्ष 1992 में पांचवां और वर्ष 2001 में छठा संस्करण प्रकाशित किया गया ।

विधि शब्दावली का यह प्रकाशन कार्य विधायी विभाग, राजभाषा खंड की सुमेरू मणि बन चुका है, इसकी उपादेयता को देखते हुए इसकी मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, अतः इसका अब एक वृहत् और पुनरीक्षित तथा नवीनतम संस्करण निकाला जा रहा है जिसमें कि लगभग पैंसठ हजार प्रविष्टियां हैं । विधि शब्दावली के इस संस्करण में, छठे और सातवें संस्करण के अंतराल में, वर्ष 2014 तक के जो अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं, उन अधिनियमों में प्रयुक्त शब्दों को, उनके हिन्दी में सर्वग्राही अर्थ नियत करते हुए और साथ ही उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों में प्रयुक्त उन शब्दों, अभिव्यक्तियों और युक्तियों को भी जिनका प्रयोग विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा किया जा रहा है, समाविष्ट किया गया है ।

विधि शब्दावली को, सुगमता की दृष्टि से, सात भागों में विभाजित किया गया है : भाग 1 में केन्द्रीय अधिनियमों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, पद, अभिव्यक्तियां तथा जहां अपेक्षित हो वहां उनके पर्याय दिए गए हैं । भाग 2 में लेटिन की जो अभिव्यक्तियां, युक्तियां आदि विधि में प्रचलित हैं उनका हिन्दी में अर्थ तथा व्याख्या दी गई है । भाग 3 में हिन्दी

शब्दों का अंग्रेजी पाठ दिया गया है । भाग 4 में विधि में प्रयुक्त अरबी-फारसी मूल के शब्दों को समाविष्ट किया गया है क्योंकि पूर्व में भारत में उर्दू भाषा का न्यायालयों में, पुराने दस्तावेजों में अत्यधिक प्रयोग होता था, अतः अरबी-फारसी से अपरिचित न्यायविदों आदि को उसका अर्थ बोध कराने के लिए अरबी-फारसी शब्दों के हिन्दी पर्याय दिए गए हैं । भाग 5 में अनन्य रूप से, विधिशास्त्र में प्रयुक्त शब्दों को सम्मिलित किया गया है । भाग 6 में सीमाशुल्क और उत्पाद-शुल्क के संबंध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को सम्मिलित किया गया है तथा भाग 7 एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें वर्ष 2014 तक अधिनियमित तथा तत्समय प्रवृत्त सभी केन्द्रीय अधिनियमों के अंग्रेजी और हिन्दी नाम वर्णक्रम में दिए गए हैं ।

भाषा में जीवनी शक्ति प्रयोगों से आती है । भाषा का, शब्दों और अभिव्यक्तियों का जितना अधिक प्रयोग होगा वह भाषा, शब्द और अभिव्यक्तियां उतनी ही व्याप्त हो जाती हैं । शब्दों का प्रयोग ही एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरे तक पहुंचाता है । चूंकि शब्द की रचना करना, उसका असंदिग्ध अर्थ देना, विशिष्टतया, विधि के क्षेत्र में, एक शोध का विषय है, अतः जो शब्द और वाक्यांश विधि शब्दावली में दिए गए हैं वे निश्चितता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और एकरूपता को ध्यान में रखकर दिए गए हैं । विधि शब्दावली के निर्माण का यह एक सतत् प्रयास है ।

आशा और विश्वास है कि विधायी विभाग, राजभाषा खंड का यह प्रयास अर्थात् विधि शब्दावली का वर्तमान संस्करण माननीय न्यायाधीशों, न्यायविदों, शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं तथा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा ।

इस संस्करण को तैयार करने और प्रकाशित कराने में जिन अधिकारियों/पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं ।

नई दिल्ली ;
20 जनवरी, 2015

डा0 संजय सिंह
सचिव, विधायी विभाग,
विधि और न्याय मंत्रालय,
भारत सरकार ।